

16/3

CT-1426/72

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II, SECTION
3, SUB-SECTION (1) AS GSR No. 1579 dated 23.10.1971.

...

Government of India
(Bharat Sarkar)
Ministry of Steel and Mines
(Ispat Aur Khan Mantralaya)
Department of Mines
(Khan Vibhag)

...

New Delhi, the 6th Sep., 1971.

NOTIFICATION

SSN. 1579

In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Third Amendment) Rules, 1971.
- the (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. In the Mineral Concession Rules, 1960, in sub-rule (4) of rule 24, after the words "the State Government shall notify this fact", the words "by Registered Post/Acknowledgement Due" shall be inserted.

No. 1(3)/71-MVI)

Sd/- A. Sethumadhavan
Under Secretary to Govt. of India.

To

The General Manager,
Govt. of India Press,
Minto Road, New Delhi (with Hindi Translation).

16/3

(भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में सा० का० नि०-1579
तारीख 23.10.71 के रूप में प्रकाशित)

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
(खान विभाग)

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1971

अधिसूचना

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957
(1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
केन्द्रीय सरकार खनिज स्थायत नियम, 1960 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए,
एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1- यह नियम खनिज स्थायत (तृतीय संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।
- 2- यह शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जाएंगे ।
- खनिज स्थायत नियम 1960 में नियम 24 के उपनियम (4) में "राज्य सरकार इस तथ्य को अधिसूचित करेगी" शब्दों के पश्चात् शब्द "रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा/अभिस्वीकृत देय" अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

(सं० 1(3)/71-खान-6)

(ए० सेतुभाषवन)
अवर सचिव, भारत सरकार

महाप्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड, नई दिल्ली ।